

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 04/2025
Gcms सं- 2025/392

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भलरों का बाड़ा व भू.अ.नि अजीत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत भलरों का बाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी का शपथ पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भानावास	179, 180, 181, 182, 183, 184	बाबू पुत्र मांगाराम	बुधाराम उर्फ बाबू पुत्र मांगाराम
			रमेश पुत्र मांगाराम	पदमाराम उर्फ रमेश पुत्र मांगाराम
2	होतरड़ा	22, 32, 33, 35 36	बाबूराम पुत्र मांगाराम	बुधाराम उर्फ बाबूराम पुत्र मांगाराम
			रमेश पुत्र मांगाराम	पदमाराम उर्फ रमेश पुत्र मांगाराम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत्त)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/229)

दिनांक:- 18.09.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी बुधाराम उर्फ बाबू पुत्र मांगाराम जाति कलबी निवासी भलरो का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा व पदमाराम उर्फ रमेश पुत्र मांगाराम कलबी निवासी भलरो का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

